पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

सीखें-सिखायें
पुस्तिका - 03

ग्राम सभा

कैसे बुलायें, कैसे चलायें

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

स म र्थ न

सामग्री निर्माण टीम

मनीष श्रीवास्तव, राजेन्द्र बन्धु, दिनेश सिंह,
श्याम श्रीवास्तव, ज्ञानेन्द्र तिवारी, संतोषी तिवारी,
नारायण परमार, राजकुमार मिश्रा, राहुल निगम
एवं विनोद चौधरी

सलाहकार मण्डल

अनिर्बान घोष, योगेश कुमार, गौरव मिश्रा,
श्रद्धा कुमार, सुभाष मेदापुरकर, मीनाक्षी सुन्दरम,
श्याम बोहरे, आर.एन. सियाग, दविन्दर कौर उप्पल,
अशोक सिंह एवं दत्ता गुराव

प्रकाशन वर्ष	:	2017
कुल प्रतियां	:	1000
प्रकाशक	:	टीआरआईएफ, समर्थन
सहयोग	:	अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनीशीएटिव्स
मुद्रक	:	गणेश ग्राफिक्स, भोपाल

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

स म र्थ न

यह प्रकाशन मध्यप्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत राजपुर विकासखण्ड में ट्रांस्फार्मिंग रूरल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित परियोजना के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, महिला समूहों, परिवर्तन प्रेरकों और अन्य सामुदायिक संगठनों की क्षमतावृद्धि के लिये तैयार किया गया है।

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव
सीखें-सिखायें पुस्तिका - 03

ग्राम सभा

कैसे बुलायें, कैसे चलायें

Azim Premji Philanthropic Initiatives

TRI TRANSFORM RURAL INDIA

अ म र्थ न

प्रस्तावना

हम सभी जानते हैं कि भारत इस विश्व की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। गाँधी जी का यह कथन कि भारत विविधता का देश है और ग्राम स्वराज से ही देश टिकाऊ प्रगति कर सकता है, आज भी सार्थक है। देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक पहुँचाने तथा स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिये संविधान में 73वाँ व 74वाँ संशोधन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चुने हुये प्रतिनिधि आम जनता एवं मतदाताओं के बीच रहकर अपनी भूमिका एवं दायित्व निभाते हैं जो कि एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का स्वरूप है। संविधान द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

संविधान संशोधन के उपरांत ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से उत्तरदायी एवं प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अजीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इंस्टीट्यूशन (APPI) के सहयोग से ग्राम स्तर पर समुदाय/पंचायत को केन्द्र में रखते हुए विकास के विभिन्न आयामों – आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता एवं पेयजल जैसे मुद्दों पर एक एकीकृत कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश के कुछ विकासखंडों में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश तथा प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठन एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

विगत ढाई दशकों में ग्राम पंचायतों के पास संसाधन बढ़े हैं तथा युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। परन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संवहनीय एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्य एवं दायित्वों से सम्बंधित जानकारी के साथ–साथ सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा तो वे अपनी नियत भूमिकाओं को जिम्मेदारी पूर्वक निभाने में और भी सक्षम होंगे तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत कर सकेंगे।

अत: पंचायतों को सौंपे गए विभिन्न दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में उनकी क्षमतावृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह पठन सामग्री विकसित की गई है। इस सामग्री को विकसित करते समय विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायत से संबंधित विभिन्न आयामों की जानकारियाँ एवं प्रबन्धकीय ज्ञान की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यह सामग्री पंचायत प्रतिनिधि, जमीनी स्तर के विभागीय कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं आम ग्रामीण नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। पठन सामग्री तैयार करने में सहभागी अभिशासन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न अकादमी से जुड़े स्रोत व्यक्तियों का उनके बहुमल्य योगदान के लिये हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

आशा है कि यह सामग्री आप सभी को उपयोगी एवं रूचिकर लगेगी।

शुभकामनाओं के साथ

योगेश कुमार
समर्थन

गौरव मिश्रा
टी.आर.आई.एफ.

विषय सूची

भाग -1

कैसे करें ग्राम सभा में भागीदारी	5
ग्राम सभा सदस्य के अधिकार	9
सरकारी कर्मचारियों पर ग्राम सभा का नियंत्रण	9
किससे, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं	11
ग्राम सभा सदस्यों के अभ्यास हेतु प्रश्नावली	13

भाग-2

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा के नियम कायदे, शक्तियां और अधिकार	15
पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा संबंधी नियम-कायदे	15
पेसा क्षत्र में ग्राम सभा की शक्तियां	17
पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार	18
गैर पेसा क्षेत्र व पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं के अधिकारों की तुलना	21
ग्राम सभा सदस्यों के अभ्यास हेतु प्रश्नावली	23
ग्राम सभा आयोजन के बाद उसकी समीक्षा हेतु प्रश्नावली	24

नोट : इस पुस्तिका में दी गई कानूनी जानकारी सितम्बर 2017 तक के कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। इसके बाद हुए किसी भी कानूनी बदलाव या संशोधन की जानकारी के लिए संबंधित आदेश-निर्देश का अध्ययन करें।

भाग–1

कैसे करें ग्राम सभा में भागीदारी ?

पंचायत राज अधिनियम में ग्राम सभा को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ग्राम के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम हो, ग्राम सभा के सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य को ग्राम सभा में अपने मुद्दे रखने, मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने और फैसलों में भागीदारी करने का अधिकार है। इस प्रकार अधिकारों के साथ-साथ ग्राम सभा की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।

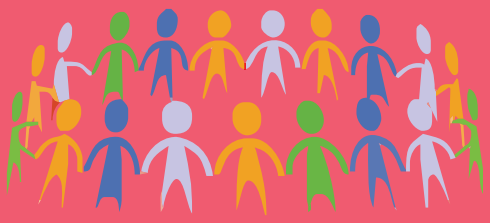

ग्राम सभा में भागीदारी को निम्नांकित सीढ़ियों द्वारा समझा जा सकता है–

ग्राम सभा की सीढ़ियां

आठवीं सीढ़ी
लिखे गए निर्णयों को पढ़वाकर सुनना और हस्ताक्षर करना

सातवीं सीढ़ी
फैसले में भागीदारी करना

छठवीं सीढ़ी
मुद्दों पर चर्चा करना

पांचवी सीढ़ी
अपनी समस्याएं और मुद्दे रखना

चौथी सीढ़ी
सवाल पूछना

तीसरी सीढ़ी
ग्राम सभा में उपस्थित होना

दूसरी सीढ़ी
एजेण्डा जानना और जरूरी मुद्दों को एजेण्डा में जुड़वाना

पहली सीढ़ी
ग्राम सभा में जाने की तैयारी

पहली सीढ़ी : ग्राम सभा में जाने की तैयारी

ग्राम सभा में जाने की तैयारी करना ग्राम सभा में भागीदारी की पहली सीढ़ी है। यदि हम पहले से तैयारी करके जाएं तो ग्राम सभा में अपनी बात अच्छी तरह रख सकते हैं और वहां होने वाली चर्चाओं एवं फैसलों में भागीदारी भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में जाने की तैयारी इस प्रकार की जा सकती है –

- यह तय करें कि हमारा मुद्दा या समस्या क्या है जिसे हम ग्राम सभा में रखना चाहते हैं। मुद्दे के संबंध में हमारे पास क्या तर्क और प्रमाण हैं, मुद्दे पर और किन लोगों का साथ मिल सकता है।
- हम गांव के अधिक से अधिक लोगों को ग्राम सभा में जाने के लिए प्रेरित करें।
- यह भी देखें कि पंचायत के अन्य मुद्दे क्या हैं, जिन पर ग्राम सभा में चर्चा होना है या होना चाहिए।
- मुद्दों का प्राथमिकीकरण करें।

दूसरी सीढ़ी : एजेण्डा जानना और जरूरी मुद्दों को एजेण्डा में जुड़वाना

ग्राम सभा की बैठक से सात दिन पहले एजेण्डा जारी किया जाता है। एजेण्डा का मतलब वे मुद्दे, जिन पर ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। ग्राम सभा में कोई भी व्यक्ति अपने मुद्दों को एजेण्डा में शामिल करवा सकता है। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन भी ग्राम सभा को अपने मुद्दे भेजते हैं, जिन्हें एजेण्डा में शामिल किया जाता है। पंचायत राज कानून में ग्राम सभा को लोगों की अपनी सभा माना गया है, लोगों को ग्राम सभा के एजेण्डा में अपने मुद्दे शामिल करवाने का अधिकार है। अतः ग्राम सभा में भागीदारी की दूसरी सीढ़ी ग्राम सभा का एजेण्डा जानना है। यह भी जानें कि राज्य सरकार, जिला व जनपद पंचायत से कौन-कौन से मुद्दे आए हैं।

तीसरी सीढ़ी : ग्राम सभा में उपस्थित होना

ग्राम सभा ग्रामवासियों की सभा है, इसलिए बगैर ग्रामवासियों के यह सभा नहीं हो सकती। अतः ग्राम सभा में सभी लोगों को उपस्थित होना आवश्यक है। ग्राम सभा में सदस्यों की जितनी अधिक उपस्थिति होगी उतनी ही अच्छी चर्चा होगी और सही निर्णय भी लिये जा सकेंगे। ग्राम सभा को गांव के विकास के महत्वपूर्ण फैसले लेने का कानूनी अधिकार है। यदि ग्राम सभा में लोगों की उपस्थिति कम रहती है तो लिये गए निर्णय व फैसलों की जानकारी कुछ ही लोगों तक ही सीमित रहेगी। सामान्यतः देखा गया है कि वंचित समुदाय विशेषकर महिलाओं की उपस्थिति न होने के कारण उनके मुद्दों व तर्कों को निर्णय प्रक्रिया में स्थान नहीं मिल पाता है। इस परिस्थिति में लिये गए निर्णय वंचित वर्ग के लिए लाभप्रद नहीं होते। इसलिए ग्राम सभा में गांव के सभी तबकों के महिला-पुरूषों का शामिल होना जरूरी है।

चौथी सीढ़ी : सवाल पूछना

ग्राम सभा में उपस्थिति के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम वहां सवाल पूछना है। ग्राम सभा में हम ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम सरपंच, सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, राशन दुकान डीलर आदि से भी उनके कार्यों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ग्राम सभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह इन कर्मचारियों को ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिये निर्देश दे सकते हैं।

सवाल पूछने के पूर्व हमें सवाल करने व उत्तर देने का अभ्यास छोटे समूहों में कर लेना चाहिए। हम जैसे ही दूसरों से प्रश्न करते हैं हम पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम शिक्षकों से शिक्षा के स्तर से जुड़ा कोई प्रश्न करते हैं तो वे भी समुदाय से बच्चों को नियमित विद्यालय न भेजने से जुड़ा प्रश्न कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उत्तर देने के लिए भी अभ्यास एवं तैयारी करना चाहिए।

पांचवी सीढ़ी : समस्याएं या मुद्दे रखना

ग्राम सभा में सवाल पूछने के साथ ही वहां लोग अपनी समस्याएं व मुद्दे रख सकते हैं। यदि हमारे वार्ड, गांव या पंचायत से संबंधित कोई समस्या हो तो उन्हें भी हम ग्राम सभा में रख सकते हैं। ग्राम सभा शुरू होते समय हम ग्राम सभा के अध्यक्ष को अपने मुद्दे या समस्या की जानकारी मौखिक या लिखित में दे सकते हैं। लोग अपने मुद्दों को ग्राम सभा का एजेण्डा जारी होने से पहले भी ग्राम पंचायत सचिव को लिखित में देकर एजेण्डा में शामिल करवा सकते हैं।

मुद्दों का चयन करते समय उस मुद्दे से प्रभावित होने वाले समुदाय के सभी सदस्यों के साथ चर्चा कर उन्हें भी ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिये कहें ताकि मुद्दे को सार्वजनिक मुद्दे के रूप में ग्राम सभा में स्वीकार कराया जा सके।

छठवीं सीढ़ी : मुद्दों पर चर्चा करना

ग्राम सभा में मुद्दे रखने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम मुद्दों पर चर्चा करना है। अत: अपने मुद्दे के पक्ष में तर्क व जानकारियां ग्राम सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी मोहल्ले में पानी की समस्या है तो चर्चा के दौरान यह बताना चाहिए कि कितने परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं? उन्हें कितनी दूर से पानी लाना पड़ रहा है? इससे उनके जीवन पर क्या असर हो रहा है? महिलाओं, बालिकाओं तथा समाज के कमजोर तबकों पर क्या असर पड़ रहा है? आदि बातें रखी जा सकती हैं। बेहतर होगा यदि इस समस्या से प्रभावित सदस्य स्वयं अपने तर्क ग्राम सभा में रखें। इसी तरह अन्य मुद्दे भी रखे जा सकते हैं।

उदाहरण- ग्राम की आगंनबाड़ी केन्द्र का पहुँच मार्ग दुर्गम है और आप का मकान भी उसी रास्ते पर है। यदि आप बिना किसी पूर्व तैयारी और समुदाय से चर्चा किए बिना सकरात्मक रूप से भी मुद्दा ग्राम सभा में रखेंगे तो ग्राम सभा के कुछ सदस्य इसे आपका व्यक्तिगत हित बताकर मुद्दे को कमजोर बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप ग्राम के 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिभावकों, गर्भवती स्त्रियों एवं किशोरी बालिकाओं से इस मुद्दे पर ग्राम सभा के पूर्व चर्चा करके सामूहिक सहमति के साथ इस मुद्दे को ग्राम सभा में प्रस्तुत करते है तो यह अधिक प्रभावी होगा।

सातवीं सीढ़ी : फैसलों में भागीदारी करना

मुद्दों पर चर्चा के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम होता है - फैसला लेना। फैसला किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों की मर्जी से न हो, बल्कि ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की भागीदारी और बहुमत के आधार पर होना चाहिये। सामान्यत: देखा गया है कि ग्राम सभा में वंचित समुदाय की कम उपस्थिति के कारण शक्तिशाली समुदाय के सदस्य अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय कर लेते हैं। वहीं कई ग्राम सभाओं में वंचित वर्ग के संगठित प्रयास से कई ऐसे कठोर निर्णय लिए गए जो प्रारम्भिक अवस्था में शक्तिशाली समुदाय को स्वीकार नहीं थे, लेकिन लोगों के एकजुट होने के कारण उन्हें इन निर्णयों को स्वीकार करना पड़ा।

"एक अच्छे निर्णय का उदाहरण - किसी ग्राम की ग्राम सभा में रामा फलिया की महिलाओं ने संगठित रूप से पेयजल समस्या का मुद्दा रखा। चर्चा उपरान्त सभी ने माना कि रामा फलिया में पानी की समस्या है। ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि रामा फलिया में, हैण्डपम्प रमला सिंह के घर के पास लगाया जाएगा। क्योंकि यह स्थान फलिया के बीच में होने के कारण सभी परिवारों की पहुँच आसान है। ग्राम सभा के दूसरे दिन इस प्रस्ताव की एक प्रति जनपद कार्यालय व एक प्रति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय (पी. एच.ई.) पहुँचाने का कार्य सचिव करेंगे। ग्राम पंचायत 10 तारीख को होने वाली पंचायत की बैठक में इस निर्णय का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।"

उदाहरण- बड़वानी जिले के राजपुर विकासखण्ड अन्तर्गत कई ग्रामों में महिलाओं ने संगठित प्रयास से अपने ग्राम को शराब मुक्त ग्राम बनाया। प्रारम्भ में उन्हें पुरूषों का सहयोग कम मिला, परन्तु महिलाओं ने स्वयं को संगठित कर इस मुद्दे पर सहयोग करने वाले सदस्यों व संस्थाओं की पहचान की। परिणाम स्वरूप पंचायत प्रतिनिधियों, धार्मिक केन्द्रों व संस्थाओं ने भी महिलाओं का समर्थन किया जिससे और भी ग्राम शराब मुक्त बन सके।

आठवीं सीढ़ी : लिखे गए निर्णयों को पढ़वाकर सुनना और हस्ताक्षर करना

ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही तथा लिए गए सभी निर्णय ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर में सचिव द्वारा लिखे जाते हैं। ग्राम सभा की समाप्ति पर सचिव की यह जिम्मेदारी है कि वह लिखी गई कार्यवाही और निर्णयों को पढ़कर सुनाए। सभी सदस्य इसे ध्यान से सुनें तथा गौर करें कि ग्राम सभा की बैठक में लिए गये सभी निर्णय कार्यवाही रजिस्टर में आ गये हैं या नहीं और उन्हें ठीक उसी प्रकार लिखा गया है या नहीं जिस तरह से फैसले लिये गए हैं। इसके उपरांत कार्यवाही रजिस्टर में अध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जायें।

अधिकांश जगहों पर देखा गया है कि चर्चा के समय ही हस्ताक्षर करवा लिए जाते है और ग्राम सभा को पता ही नहीं चल पाता कि कार्यवाही पंजी मे क्या निर्णय लिखे गए।

हस्ताक्षर की कीमत पहचानो

ध्यान रहे कि कहीं भी किसी भी कागज, रजिस्टर या फार्म आदि पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने से पहले उसे समझ तो लें कि किस बात पर हस्ताक्षर /अंगूठा लगा रहे हैं? उसको ठीक से पूरा पढ़ लें यदि पढ़े-लिखे नहीं हैं तो किसी भरोसे के व्यक्ति से पढ़वा लें, समझ लें और यदि उससे राजी हों तो ही हस्ताक्षर/अंगूठा लगायें, अन्यथा मना कर दें। जब ग्राम सभा की बैठक हुई ही नहीं या आप उसमें गये ही नहीं तो फिर हस्ताक्षर/अंगूठा क्यों लगा देते हैं? किसी भी कागज पर हस्ताक्षर/अंगूठा लगाने का मतलब है कि जो कुछ उसमें लिखा है उससे हस्ताक्षर/ अंगूठा लगाने वाला सहमत है। इतना ही नहीं यदि हमारे द्वारा बिना पढ़े, बिना सुने और बिना समझे किसी कागज पर हस्ताक्षर कर देने से कुछ गलत काम होता है तो हम भी उस गलत काम में बराबर के

भागीदार माने जाएंगे। यदि गलत काम में भागीदार नहीं बनना है तो बिना सोचे समझे या बिना जाने बूझे या उससे राजी न होते हुए भी हस्ताक्षर/अंगूठा न लगाएं। इस तरह बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर देने से कई लोग कानूनी दाव पेंच में फंस चुके हैं। हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, केवल हस्ताक्षर करने या अंगूठा लगाने की सजा भुगत रहे हैं।

यदि सोच समझ कर कागज पर लिखी बात से राजी होकर ही लोग हस्ताक्षर/अंगूठे लगाने लगे तो किसी को फर्जीबाड़ा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। साथ ही इससे खुद भी फंसने से बचेंगे और अनजाने में गलत काम में भागीदार होने की गलती से बच जाएंगे।

यदि ऐसा संभव हो जाए तो बिना ग्राम सभा की स्वीकृति के, बिना पूर्ण कोरम के, कोई काम संभव नहीं हो पाएंगे और ग्राम सभा का आयोजन करवाना ही पड़ेगा। इस प्रकार हम पंचायत में होने वाले गलत कामों को रोक सकते हैं।

ग्राम सभा सदस्य के अधिकार

- ग्राम सभा का एजेन्डा प्राप्त करने का अधिकार।
- एजेन्डे में मुद्दा जुड़वाने का अधिकार।
- पंचायत में रखे जाने वाले समस्त दस्तावेजों को किसी भी सदस्य द्वारा देखने का अधिकार।
- ग्राम सभा में अपनी बात रखने का अधिकार।
- स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रखने का अधिकार (निर्णय के लिये कोई भी दबाव नहीं बना सकता।)

सरकारी कर्मचारियों पर ग्राम सभा का नियंत्रण

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 (B) के अनुसार ग्राम स्तर के सभी कर्मचारियों पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा।

- ग्राम सभा कर्मचारियों का वेतन रोक सकती है, आकस्मिक अवकाश (छुट्टी) मंजूर करेगी, उनके काम का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण (जांच) करेगी।
- यदि कर्मचारी गलत काम करे या अपना काम न करे/काम में लापरवाही करे/ समय पर काम न करे तो ग्राम सभा को अधिकार है कि वह कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही और दण्ड देने की सिफारिश कर सकती है।

पन्ना जिले में दिनांक 12/05/2002 को तत्कालीन कलेक्टर डॉ. रविन्द्र पस्तोर ने जिले की समस्त पंचायतों को एक आदेश जारी कर पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7(ठ) को लागू करने और ग्राम सभाओं को दिये गये अधिकारों के संबंध में विस्तार से निर्देश जारी किये थे। प्रत्येक विकासखण्ड में सरकारी कर्मचारियों को इन निर्देशों के पालन के लिये प्रशिक्षण भी दिया था।

ग्राम सभा में हल हुई सड़क और नाली की समस्या

कटनी जिले की जनपद पंचायत बड़वारा की ग्राम पंचायत इमलिया में रहने वाली एक महिला मीरा बाई के मोहल्ले में कई समस्याएं थीं। सड़क, नाली और शौचालय के अभाव में मोहल्ले के लोग परेशान थे। मीरा बाई ने कई बार सरपंच और सचिव को अपने मोहल्ले की समस्याओं के बारे में बताया, किन्तु वे सिर्फ आश्वासन ही देते रहे। मोहल्ले की समस्या पहले जैसी ही बनी रही। मीरा बाई और उसके मोहल्ले के लोगों के सामने यह चुनौती थी कि वे अपने मोहल्ले में सड़क, नाली और शौचालय की समस्याओं को कैसे हल करवाएं।

आखिरकार मीरा बाई ने सोचा कि क्यों न मोहल्ले की सभी महिलाएं इकठ्ठी होकर ग्राम सभा में अपनी समस्याएं रखें। इस मोहल्ले की महिलाएं कभी ग्राम सभा में नहीं जाती थी, इसलिये मीरा बाई ने सबसे पहले महिलाओं को ग्राम सभा में जाने के लिए तैयार किया। मीरा बाई की अगुवाई में सभी महिलाएं ग्राम सभा में उपस्थित हुई और उन्होंने अपने मोहल्ले के मुद्दों को बैठक में रखा।

महिलाओं ने कहा कि सड़क और नाली नहीं होने से पूरे मोहल्ले में हैण्डपंप का पानी रास्ते पर बहता है जिससे रास्ते पर हमेशा कीचड़ रहती है। इससे मोहल्ले में मच्छर और गंदगी होती है। महिलाओं के कहने पर ग्राम सभा द्वारा मनरेगा योजना से मोहल्ले में सड़क तथा नाली निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया और 15 दिन बाद काम भी शुरू कर दिया गया।

अब मोहल्ले की महिलाएं हमेशा ग्राम सभा की बैठक में जाती हैं। उन्हें ग्राम सभा की ताकत का एहसास हो गया

विभिन्न शासकीय विभागों के कर्मचारी पर ग्राम सभा का नियंत्रण स्थापित करने के लिये यह भी स्पष्ट किया गया था कि किस विभाग के कर्मचारी ग्राम सभा की किस समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। जिन कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभा तक फैला है वे किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे सभी बातें निर्देश में स्पष्ट की गई थी। इस आदेश की कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख आगे किया गया है –

ग्राम सभा को कानूनी तौर पर सीमा के भीतर कार्यरत् कर्मचारियों का वेतन रोकने, छुट्टी मंजूर करने, कार्य का निरीक्षण करने तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं।

कर्मचारियों का मुख्यालय –

जिले के सभी विभाग ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ अपने सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों का मुख्यालय निर्धारित कर इसकी सूचना ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा को देंगे। सभी सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से निवास करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्यालय की ग्राम सभा को लिखित में देंगे।

कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र –

यह संभव है कि अधिकांश कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभाओं में फैला हो। ऐसे कर्मचारी अपने प्रभार के प्रत्येक ग्राम में जाने के लिए अपना दिन निर्धारित करेंगे। इसकी सूचना संबंधित ग्राम सभा को लिखित में देंगे एवं उस ग्राम सभा के कार्यवाही विवरण में उसका उल्लेख कराया जाना अनिवार्य होगा।

क्षेत्र भ्रमण –

संबंधित कर्मचारियों का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित दिनांक को अनिवार्य रूप से उस ग्राम सभा के क्षेत्र में स्थित ग्राम में भ्रमण करेंगे तथा अपने विभाग से संबंधित स्थायी समिति के सदस्यों से मिलेंगे। अपनी टूर डायरी में ग्राम भ्रमण का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा किये गये कार्य का उल्लेख करेंगे।

वेतन का आहरण –

सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन का आहरण संबंधित ग्राम सभा की स्थायी समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा माह में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य संपादित किये गए हैं प्राप्त करने के बाद ही किया जावेगा। यह प्रमाण पत्र विभाग के वेतन देयक के साथ संलग्न करना होगा।

भ्रमण दैनंदिनी (टूर डायरी) –

ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक ग्राम सभाओं के क्षेत्र में फैला है भ्रमण दैनंदिनी बनाना अनिवार्य होगा। भ्रमण दैनंदिनी मुख्यालय की ग्राम सभा की संबंधित स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसे देखकर समिति वेतन आहरण के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगी।

आकस्मिक अवकाश की मंजूरी –

ग्राम सभा स्तरीय सरकारी कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार मुख्यालय की ग्राम सभा की संबंधित स्थायी समिति के अध्यक्ष को होगा।

कार्यों का निरीक्षण –

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह पूरे माह में उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण माह के अंत में ग्राम विकास पुस्तक में दर्ज करें तथा माह के अंत में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की संबंधित स्थायी समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।

पर्यवेक्षण –

ग्राम सभा की स्थायी समितियां उनके कार्य क्षेत्र में स्थापित संबंधित विषयों के कार्यालयों तथा कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का मौके पर पर्यवेक्षण कर सकेंगी तथा संबंधित कर्मचारी सभी तरह की जानकारी एवं अभिलेख समिति को उपलब्ध कराएंगे।

कर्तव्य की उपेक्षा –

कोई कर्मचारी यदि अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं करेगा, मुख्यालय में निवास नहीं करेगा, निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भ्रमण नहीं करेगा तो संबंधित ग्राम सभा को शक्तियां प्राप्त है कि वह ऐसे सरकारी कर्मचारी को दण्डित करने का प्रस्ताव अपनी बैठक में पारित करे तथा इस संबंध में सिफारिश सक्षम विभागीय अधिकारी को प्रेषित करे। सक्षम अधिकारी ग्राम सभा के प्रतिवेदन पर तय समयावधि में कार्यवाही कर संबंधित अधिकारी को दण्डित करने के संबंध में आदेश जारी करेंगे जिसकी सूचना कार्यवाही विवरण सहित संबंधित ग्राम सभा को देंगे।

किससे, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं ?

किससे	सवाल
ग्राम पंचायत सचिव से	• पिछली ग्राम सभा की बैठक में लिए गए फैसलों में से कितने फैसलों का क्रियान्वयन हुआ? • जिन फैसलों पर क्रियान्वयन नहीं हुआ, उनके क्या कारण हैं? • पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि किन-किन कार्यों पर खर्च की गई? कितनी राशि पंचायत के पास शेष है? • मनरेगा योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कौन-कौन से कार्य कराए गए और आने वाले समय में कौन से कार्य शुरू किये जाएंगे? • पिछली ग्राम सभा से इस ग्राम सभा तक की अवधि में कौन-कौन से कामों के तकनीकी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु जनपद पंचायत भेजे गए? उन पर क्या कार्यवाही हुई? • पिछली ग्राम सभा से इस ग्राम सभा की अवधि तक ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें हुई और उनमें क्या निर्णय लिए गए? • पिछली ग्राम सभा से इस ग्राम सभा की अवधि में किन-किन योजनाओं का लाभ किन-किन हितग्राहियों को दिया गया? उनका चयन कैसे किया गया? • आगामी माहों में पंचायत कौन-कौन से प्रमुख कार्य करने वाली है? उनके क्रियान्वयन की रणनीति क्या होगी? • मजदूरी भुगतान से संबंधित कोई भी सवाल। • गांव के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन, जंगल तथा अन्य सार्वजनिक संसाधनों जैसे तालाब, कुंआ आदि के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। • मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं।
सरपंच से	सरपंच से भी उपरोक्त सवाल पूछे जा सकते हैं। सरपंच उपरोक्त सभी सवालों के लिए जिम्मेदार है, किन्तु इन सवालों का सही जवाब देने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का है।
शाला प्रबंधन समिति से	अधिनियम के अनुसार शाला प्रबंधन समिति सहित अन्य सभी समितियां ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। शाला प्रबंधन समिति के सचिव (प्रधानाध्यापक) को ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए, ग्राम सभा सदस्य उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि – • शाला प्रबंधन समिति की बैठकों में क्या निर्णय लिए गए तथा निर्णयों का कितना पालन हुआ?

किससे	सवाल
	• बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति तथा शिक्षा की गुणवत्ता की क्या स्थिति है? • शिक्षा संबंधी योजनाओं जैसे – यूनिफार्म, किताब वितरण, छात्रवृत्ति वितरण आदि की क्या स्थिति है? • मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन से संबंधित सवाल। (इसका उत्तर मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह द्वारा भी दिया जा सकता है।) • किसी बच्चे के साथ होने वाले भेदभाव या अन्य किसी दुर्व्यवहार के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। • शिक्षा संबंधी अन्य कोई सवाल जो सदस्यों के मन में हो।
सार्वजनिक सेवाओं के सेवा प्रदाता से (एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उचित मूल्य की दुकान का संचालक, पटवारी आदि)	ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सभी सार्वजनिक सेवाओं के सेवा प्रदाता ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिये इन्हें भी ग्राम सभा में उपस्थित रहने की सूचना देना जरूरी है। ग्राम सभा सदस्य उनसे सेवाओं से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, जैसे – • ए.एन.एम. व आशा कार्यकर्ता से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, अस्पताल में हुए प्रसवों की संख्या, घर-घर विजिट एवं टीकाकरण पर सवाल पूछे जा सकते हैं। • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पोषण आहार, कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की संख्या, एन.आर.सी. में रैफर किए गए बच्चों की संख्या, गर्भवती, धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली सुविधाएं तथा आंगनबाड़ी में बच्चों की उपस्थिति एवं गतिविधियों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। • उचित मूल्य की राशन दुकान के डीलर से यह पूछ सकते हैं कि पिछले महिनों में कुल कितना राशन आया, उसमें से कुल कितना राशन वितरित किया गया तथा कितना शेष है, आदि। • पटवारी से यह पूछ सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के कितने प्रकरणों पर कार्यवाही हुई तथा कितने प्रकरण शेष है तथा उन पर कितने दिनों में कार्यवाही पूरी होगी। • पेसा क्षेत्र के अंतर्गत – प्रावधानों से संबंधी सवाल। (इसी तरह अन्य विभागों के सेवा प्रदाताओं से भी लोगों को दी जाने वाली सेवाओं और लाभ के संदर्भ में सवाल पूछे जा सकते हैं।)

ग्राम सभा सदस्यों के अभ्यास हेतु प्रश्नावली

1. क्या ग्राम सभा के पहले आपको एजेन्डा की जानकारी थी? यदि हाँ तो कितने दिन पहले?

   .....

   .....

2. क्या आपका कोई मुद्दा था? यदि हाँ तो वह क्या मुद्दा था?

   .....

   .....

3. क्या आप अपने मुद्दे को एजेन्डा में शामिल करा पाये?

   .....

   .....

4. क्या आपके मुद्दे पर चर्चा हुई?

   .....

   .....

5. मुद्दे पर किन-किन लोगों का समर्थन मिला था? क्या किसी ने विरोध किया था?

   .....

   .....

6. आपके मुद्दे पर क्या निर्णय लिया गया?

   .....

   .....

7. निर्णय किस प्रकार लिया गया?

   .....

   .....

8. क्या निर्णय को ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर में लिखा गया और सभी को पढ़कर सुनाया गया?

   .....

   .....

9. क्या लिये गए निर्णय को लागू करने की कोई योजना बनाई गई? इसमें आपकी एवं अन्य सदस्यों की क्या भूमिका रहेगी ?

   .....

   .....

10. इस ग्राम सभा से पहले की ग्रामसभा में प्रमुख मुद्दे क्या थे?

    .....

    .....

बहु-विकल्पीय प्रश्न

1. ग्राम सभा का एजेन्डा कितने दिन पहले जारी होता है?
   - 5 दिन ☐
   - 7 दिन ☐
   - 3 दिन ☐
   - ग्राम सभा के दिन ☐

2. ग्राम सभा के एजेन्डा में मुद्दा कब तक जुड़वाया जा सकता है?
   - 1 माह पहले ☐
   - 15 दिन पहले ☐
   - 7 दिन पहले ☐
   - ग्राम सभा के दिन तक ☐

3. ग्राम सभा में सवाल कौन पूछ सकता है?
   - कोई भी ☐
   - सचिव ☐
   - पंच ☐
   - ग्राम सभा का सदस्य ☐

4. ग्राम सभा में मुद्दे रखने का अधिकार किसे है?
   - किसी को भी ☐
   - ग्राम सभा का सदस्य ☐
   - पंच ☐
   - सचिव ☐

5. ग्राम सभा की कार्यवाही लिखना व बैठक समाप्त होने से पहले पढ़कर सुनाना किसका काम है?
   - सचिव ☐
   - सरपंच ☐
   - नोडल ☐
   - उपसरपंच ☐

सही उत्तर पृष्ठ-24 पर दिये गए हैं

भाग–2

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा के नियम-कायदे, शक्तियां और अधिकार

पेसा कानून क्या और क्यों ?

देश में पंचायत राज की स्थापना के बाद यह सवाल सामने आया कि आदिवासी क्षेत्रों में इसे कैसे लागू किया जाए? क्या आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को उसी तरह लागू किया जाए, जैसे की देश के अन्य भागों में लागू की गई है? यह सवाल इसलिए सामने आया कि भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन के विशेष अधिकार की बात कही गई है। यानी उन्हें अपने जमीन-जंगल, रीति-रिवाज, वाद-विवाद और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में खास अधिकार प्रदान किए गए हैं। अत: आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने के संदर्भ में सन् 1996 में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कानून पारित किया गया, जिसे "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) 1996" कहा गया। इसी कानून को अंग्रेजी में "पंचायत एक्शटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज" (पेसा कानून) कहा जाता है।

आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं द्वारा लिए गए फैसलों को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस तरह संविधान की पांचवी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन के स्थापना की कल्पना की गई। इस व्यवस्था को साकार रूप देने और बनाए रखने के लिए कानून में व्यापक प्रावधान किए गए।

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा संबंधी नियम-कायदे

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा के लिए विशेष नियम-कायदे तय किए गए हैं, जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 129 (क) में किया गया है। इस कानून के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में फलियों या मजरों को भी अलग ग्राम सभा माना जा सकता है और वहां का प्रत्येक मतदाता उस ग्राम सभा का सदस्य होगा। इस कानून को लागू करने के लिए प्रत्येक गांव या मजरों, टोलों या फलियों के लोगों को अपने यहां ग्राम सभा का गठन करना जरूरी है।

ग्राम सभा का गठन

आदिवासी क्षेत्र के किसी भी गांव/ मजरा/ टोला/पारा/ फलिया/पुरा/खुड़ा आदि में ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गांव के सभी लोगों को बैठक कर यह प्रस्ताव पास करना होगा कि इस गांव/मजरा/टोला, या फलिया के लोग अपने यहां पेसा कानून के अंतर्गत एक ग्राम सभा का गठन करते हैं। यह प्रस्ताव पास कर उसे विहित अधिकारी (एस.डी.एम.) को प्रस्तुत किया जाएगा (म.प्र. अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1998 का नियम 4)। इस प्रस्ताव के साथ उस गांव या मजरा / टोला या फलिया की जनसंख्या एवं परिवार संख्या का विवरण भी साथ में लिखकर एस.डी.एम. को दिया जाएगा।

ग्राम सभा का कोरम एवं सर्वसम्मति से ग्राम सभा गठन के लिए पारित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एस.डी.एम. द्वारा इसकी सूचना संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल में चिपका दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति या असहमति हो तो वह उसमें दी गई तारीख से पहले अपनी आपत्ति लिखित रूप में एस.डी.एम. को दे सकता है। इस तरह की कोई आपत्ति आने पर एस.डी.एम. द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, यदि आपत्ति सही नहीं पाई गई तो उसे खारिज कर ग्राम सभा के गठन की घोषणा कर दी जाएगी। इसी

तरह यदि निश्चित तारीख तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो ग्राम सभा की घोषणा कर दी जाएगी।

विहित अधिकारी (एस.डी.एम.) द्वारा ग्राम सभा में शामिल होने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या, ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी, प्रस्तावित रहवासी मतदाताओं की रूढ़ियां एवं परपंराओं आदि पर विचार करके नई ग्राम सभा के गठन की घोषणा की जाएगी; नियम 4(ड)। ग्राम सभा की इस घोषणा के बाद अगले महीने की पहली तारीख से वहां ग्राम सभा अस्तित्व में आ जाएगी–नियम 5(1)। एस.डी.एम. द्वारा इस घोषणा की एक प्रति जिला कलेक्टर, उप संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी; नियम 5(2)।

ग्राम सभा की बैठक

ग्राम सभा के गठन के बाद पेसा कानून के अनुसार ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक कब-कब की जाएगी, यह ग्राम सभा के सामने उपलब्ध मुद्दे और जरूरत के अनुसार ग्राम सभा द्वारा तय किया जाएगा। किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार ग्राम सभा की बैठक करना जरूरी है। साथ ही यदि ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित में मांग की जाती है, तो ग्राम सभा की बैठक एक माह के अंदर बुलाई जाएगी। (म.प्र. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1998 के नियम 6 के अनुसार)

ग्राम सभा का कोरम

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के लिये कुल मतदाताओं में से कम से कम एक तिहाई मतदाताओं का उपस्थित होना जरूरी है। यानि 100 सदस्यों वाली ग्राम सभा का कोरम पूरा होने के लिये 33 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है; (नियम 9)।

ग्राम सभा की अध्यक्षता

ग्राम सभा शुरू होते ही सबसे पहले वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा किसी एक व्यक्ति को बहुमत के आधार पर अध्यक्ष चुना जाएगा। ग्राम सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो सरपंच, उपसरपंच, पंच तथा ग्राम पंचायत का सचिव न हो। यानि किसी भी पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी व सचिव द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। (नियम 10)

ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा ग्राम सभा का संचालन किया जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष सबसे पहले यह तय करेगा/करेगी कि किन-किन मुद्दों पर और किस क्रम में बातचीत होगी। ग्राम सभा की बैठक सामाप्त होने से पहले ग्राम सभा द्वारा लिए गए सभी निर्णय व कार्यवाही का विवरण सभी को पढ़कर सुनाया जाएगा। नियम 11(1) एवं (2)

ग्राम सभा के फैसले

ग्राम सभा के सभी निर्णय सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति से लिए जाएंगे। यदि किसी मुददे पर कुछ सदस्य असहमत हों, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम क्यों न हो, तब भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। उस मुद्दे पर निर्णय को अगली ग्राम सभा की बैठक तक स्थगित कर दिया जाएगा। ग्राम सभा की अगली बैठक में फिर से उस पर चर्चा की जाएगी और सभी की सहमति होने पर ही निर्णय लिया जाएगा। यदि इस बैठक में भी कुछ लोग असहमत हों तो उसे फिर अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और तीसरी बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी तथा मतदान द्वारा बहुमत से फैसला लिया जाएगा। यानी दो बैठकों में सर्वसम्मति न होने पर पर ही तीसरी बैठक में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिसमें बहुमत का फैसला माना जाएगा। यदि मतदान के दौरान किसी व्यक्ति की सदस्यता या मतदान पर कोई विवाद उत्पन्न हो तो उस पर विचार किया जाएगा और उसके मत देने या न देने के बारे में अंतिम फैसला ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

इस मतदान में अध्यक्ष द्वारा मतदान नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों में बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत लेकर फैसला किया जाएगा; (नियम 12)।

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियां

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129(ग) में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियों (अधिकारों) का उल्लेख है। इसके अनुसार –

- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों का संरक्षण करने का अधिकार है। साथ ही उसे विवादों के निराकरण का भी अधिकार है;धारा 129(ग)(1)।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन, जंगल का अपनी परंपराओं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार है;धारा 129 (ग)(3)।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को गांव के बाजार तथा मेलों का प्रबंधन करने का अधिकार है–धारा 129(ग)(5)। इसके अंतर्गत पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा अपने गांव में लगने वाले बाजार एवं मेलों के बारे में नियम बना सकती है और उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू करवा सकती है।
- पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को स्थानीय योजनाओं में होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने का अधिकार है;धारा 129(ग)(6)।
- उक्त के अलावा पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को वे सभी अधिकार भी है जो अन्य गैर आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को है। इनका उल्लेख मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7 में किया गया है, जो इस प्रकार है–
- गांव के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता से लागू करना–धारा 7(क)।
- गांव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनाना, उसे पास करना तथा पंचायतों द्वारा उसका क्रियान्वयन किए जाने पर उस पर, निगरानी रखना और उसके बारे में ग्राम सभा में बातचीत करना; धारा 7(ख) एवं (ग)।
- ग्राम पंचायत द्वारा किये गए आय–व्यय, और हिसाब–किताब पर विचार करना तथा ग्राम पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट पर बातचीत करना और सही पाए जाने पर उसका अनुमोदन करना;धारा 7(ग)
- गांव स्तर के सभी सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना; धारा 7(ठ)।
- गांव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनबाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि की समीक्षा करना और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करना एवं फैसला लेना।

पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकार

पेसा कानून में ग्राम सभा को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए है। मध्यप्रदेश में ये अधिकार "मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129(ग)" के अंतर्गत प्रदान किए गए है, इन अधिकारों को इस तरह समझा जा सकता है-

परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण का अधिकार

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं को आदिवासी समुदाय की सदियों से चली आ रही परंपराओं एवं रीति रिवाजों का संरक्षण करने का अधिकार है। यदि ग्राम सभा के सदस्यों को यह महसूस हो कि किसी सरकारी या गैर सरकारी गतिविधि के कारण उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वे ग्राम सभा की बैठक में उस पर चर्चा कर सकते हैं और उसे रोकने के बारे में फैसला ले सकते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार

पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित नदियों, पहाड़ों, जंगलों, खदानों आदि का न्यायपूर्ण उपयोग करने के लिए ग्राम सभा निर्णय ले सकती है। साथ ही ग्राम सभा उनके रख-रखाव के बारे में भी फैसला ले सकती है। जंगलों से लघु वनोपज एकत्र करने और उसे बिक्री के बारे में भी ग्राम सभा नियम-कायदे बना सकती है।

सामुदायिक संसाधनों के उपयोग एवं प्रबंधन का अधिकार

ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक संसाधन जैसे तालाब, कुए, चौपाल के ओटले, पशुओं के पीने के पानी आदि के न्यायपूर्ण उपयोग के बारे में ग्राम सभा नियम-कायदे बना सकती है। साथ ही ग्राम सभा उनके रख-रखाव के बारे में भी फैसला ले सकती है।?

गौण खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार

ग्राम सभा अपने क्षेत्र में स्थित खदानों से गौण खनिज (मिट्टी, रेत, पत्थर आदि) के निकालने के बारे में नियम-कायदे बना सकती है। ग्राम सभा इन खदानों से खनिज निकालने पर रायल्टी भी तय कर सकती है।

गौण खनिज उत्खनन का पट्टा प्राप्त करने के लिए यदि कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो खनन विभाग के अधिकारी द्वारा उसके आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत की राय के बाद ही आवेदन देने वाले व्यक्ति या संस्था को उत्खनन के लिए पट्टा दिया जाएगा।

बाजार एवं व्यापार पर नियंत्रण

पेसा क्षेत्र के गांवों में लगने वाले हाट-बाजार एवं वहां होने वाले व्यापार पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। यदि किसी ग्राम सभा क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है, जिससे आदिवासी संस्कृति एवं परंपराओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो तो ग्राम सभा में उस पर चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा चाहे तो उस व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही ग्राम सभा गांव में शराब की बिक्री और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा सकती है या उसके बारे में कोई नियम-कायदे बना सकती है।

> "**उदाहरण-** *राजपुर जनपद अन्तर्गत आने वाली बघाड़ ग्राम पंचायत की ग्राम सभा ने अपने ग्राम की सीमा में शराब की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध लगाया।*"

आपसी विवादों के निपटारे का अधिकार

पेसा क्षेत्र में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर ग्राम सभा को उस पर चर्चा करने तथा उसका निपटारा करने का अधिकार है। आदिवासी क्षेत्र की ग्राम सभा उन विवादों का अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार फैसला करेगी, जो दोनों या सभी पक्षों पर मान्य होगा।

साहूकारी पर नियंत्रण का अधिकार

साहूकारों द्वारा आदिवासियों को दिए जाने वाले ऋण के नियम-कायदों पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। यह उल्लेखनीय है कि साहूकारी का काम उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिसे साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत यह काम करने के लिए लायसेंस प्राप्त है। किन्तु वह व्यक्ति भी अपनी मनमर्जी का ब्याज नहीं वसूल सकता। ग्राम सभा उसके बारे में नियम-कायदे बना सकती है तथा साहूकार और कर्जदार के बीच विवाद होने की दशा में ग्राम सभा उसका निराकरण कर सकती है। पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को यह भी अधिकार है कि वह लायसेंस होने के बाद भी साहूकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी यदि कोई व्यक्ति साहूकारी का व्यवसाय करता है तो उसे दो साल जेल की सजा या 10 हजार रूपए जुमार्ना या दोनों सजाएं हो सकती है।

यदि साहूकार के पास पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं है तो वह धन की वसूली नहीं कर सकता।

भूमि अधिग्रहण के बारे में ग्राम सभा के अधिकार

पेसा क्षेत्र में सरकार, ग्राम सभा की अनुमति के बिना, किसी भी काम के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती। भूमि अधिग्रहण करने से पहले सरकार ग्राम सभा को सूचित करेगी और ग्राम सभा में उस पर चर्चा होगी। यदि ग्राम सभा भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति देती है तो ही सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है।

सार्वजनिक सेवाओं पर निगरानी का अधिकार

ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक सेवाएं जैसे आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन दुकान, उप-स्वास्थ्य केन्द्र आदि पर निगरानी व नियंत्रण का अधिकार सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा की तरह ही पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को भी

है। पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा इन सेवाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर सकती है और उनके खुलने व बंद होने के समय, सेवाओं की गुणवत्ता आदि के बारे में फैसले ले सकती है। सेवाओं से संबंधित विभाग को अपनी अनुशंसाएं भी भेज सकती है। साथ ही ग्राम सभा में इन मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है कि उन सेवाओं का उपयोग गांव के लोगों को अच्छी तरह मिल रहा है या नहीं। ग्राम सभा उन सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों को, बैठक के दौरान बुलाकर, उनसे सवाल भी पूछ सकती है।

ग्राम पंचायत के कामों पर निगरानी का अधिकार

ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चों और कार्यों पर ग्राम सभा को निगरानी करने का अधिकार है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कार्यों पर चर्चा की जाएगी तथा ग्राम सभा के सदस्य सरपंच से उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ग्राम सभा का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का हिसाब-किताब देख सकता है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का कर्तव्य है कि वे ग्राम पंचायत के आय-व्यय का पूरा विवरण ग्राम सभा को बताएं एवं हिसाब-किताब के सभी दस्तावेज ग्राम सभा में रखें। ग्राम सभा द्वारा यह भी देखा जाएगा कि ग्राम पंचायत द्वारा किया गया खर्च सही है या नहीं। यदि किसी खर्चे पर ग्राम सभा को कोई शंका हो, तो ग्राम सभा सदस्य सवाल पूछ सकते हैं। इस प्रक्रिया को सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। यदि ग्राम सभा को लगता है कि पंचायत द्वारा खर्च सही तरीके से नहीं किया गया है तो ग्राम सभा इस आशय का प्रस्ताव पास कर सकती है।

भूमि नामान्तरण एवं बंटवारे का अधिकार

ग्राम सभा को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में लोगों की जमीन का नामांतरण एवं अविवादित भूमि के बंटवारे का अधिकार प्रदान किया गया है। अपनी जमीन का नामांतरण एवं बंटवारा करवाने वाले व्यक्ति ग्राम सभा में इस आशय का प्रस्ताव रख सकते हैं। उनके प्रस्ताव पर ग्राम सभा में पहले बातचीत की जाएगी इसके बाद ही प्रस्ताव पास किया जाएगा।

गैर पेसा क्षेत्र व पेसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं के अधिकारों की तुलना

संकेतक	गैर पेसा क्षेत्र	पेसा क्षेत्र
ग्राम सभा	प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा	प्रत्येक गांव की अपनी ग्राम सभा होगी लेकिन यदि लोग चाहें तो आदिवासी क्षेत्र के किसी भी गांव के मजरा, टोला, पारा, फलियां, पुरा, खुड़ा आदि में आवेदन देकर प्रक्रिया अनुसार ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है।
ग्राम सभा का कोरम	कुल मतदाताओं का एक दशांक – अर्थात 100 में से 10 सदस्य।	कुल मतदाताओं का एक तिहाई – अर्थात 100 में से 33 सदस्य।
ग्राम सभा की अध्यक्षता	सरपंच द्वारा या सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच और यदि उपसरपंच भी नहीं है तो किसी वरिष्ठ पंच द्वारा।	अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति के उस सदस्य के द्वारा की जायेगी जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों ने बहुमत से चुना हो परंतु वह पंचायत का सरपंच, उपसरपंच या कोई सदस्य नहीं होना चाहिये।
अनुसूचित क्षेत्र में किसी गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने या उस भूमि को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को प्रतिवर्तित करने पर वह भूमि पुनः आदिवासी भू स्वामी को दिलवाने का अधिकार	सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाओं को यह अधिकार नहीं है।	इस प्रावधान को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा "मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959" की धारा 170(ख) में संशोधन कर एक नई उप धारा 2(क) जोड़ी गई है। • इसके अनुसार यदि पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा यह पाती है कि किसी गैर आदिवासी व्यक्ति ने किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया है तो वह जमीन उस व्यक्ति को, जो मूल रूप से उसका मालिक है, दे दी जाएगी। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो वह जमीन उसके वारिस को दी जाएगी। • यदि गैर आदिवासी कब्जेदार ग्राम सभा के आदेश का पालन न कर जमीन मूल आदिवासी मालिक को नहीं सौंपता है तो ग्राम सभा यह मामला उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम) को सौंपेगी। एस.डी.एम. मामला प्राप्त होने के तीन माह के भीतर ग्राम सभा के निर्णय का पालन करवाएंगे और भूमि उसके मूल मालिक को दिलायेंगे।
ग्राम सभा बैठक की अवधि	वर्ष में कम से कम 4 तय तारिखों में बैठक होना अनिवार्य है।	तीन माह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य है।

संकेतक	गैर पेसा क्षेत्र	पेसा क्षेत्र
ग्राम सभा को आदिवासी समुदाय की परंपराओं, रूढ़ियों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा विवादों को निपटाने का अधिकार	आपसी विवादों के निपटारे ग्राम सभा द्वारा सरकार के कानूनों / नियमों के अनुसार ही होंगे।	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अध्याय 14-क, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध, धारा 129(ग) में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं – • ग्राम सभा को लोगों की परंपराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक साधनों का संरक्षण करने तथा उनके संरक्षण के लिए फैसले लेने का अधिकार। • आपसी विवादों का निपटारा करने का अधिकार। • ग्राम सभा क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं तथा ग्राम पंचायत के कार्यों पर नियंत्रण रखने का अधिकार। • ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन, जंगल आदि का परंपरा एवं संविधान के उपबंधों के अनुसार उपयोग करने का अधिकार।
ग्राम सभा क्षेत्र में नशीले पदार्थों को बनाने और उन्हें बेचने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार	सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाओं को उक्त अधिकार प्राप्त नहीं है।	इस प्रावधान को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा "मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम 1997" के अध्याय 8 (क)) की धारा 61(ख), 61(ग), 61(घ), 61(ड) एवं 61(च) में संशोधन कर निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं– • आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग एवं सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर उपयोग के लिए देशी शराब बनाई और उपयोग की जा सकती है। • किन्तु वे बनाई गई इस देशी शराब को बेच नहीं सकते। • शराब बनाने की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति साढ़े चार लीटर और एक परिवार में अधिकतम 15 लीटर होगी। • पेसा क्षेत्र की ग्राम सभा को अपने ग्राम सभा क्षेत्र में शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों को बनाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। किन्तु यदि कोई कारखाना पहले से स्थापित है तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। • राज्य सरकार ग्राम सभा की अनुमति के बगैर उस ग्राम सभा क्षेत्र में नशीले पदार्थ बनाने का कारखाना लगाने की अनुमति नहीं दे सकती। • यदि ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ बनाने या बेचने पर प्रतिबंध लगाती है तो उस ग्राम सभा क्षेत्र में मादक पदार्थ बनाने का कोई कारखाना नहीं लगाया जा सकता और न ही मादक पदार्थ (शराब आदि) बेचने की दुकान खोली जा सकती है।

ग्राम सभा सदस्यों के अभ्यास हेतु प्रश्नावली

आगामी ग्राम सभा की तैयारी

1. ग्राम सभा के 5 प्रमुख कार्य क्या हैं?

   .....

   .....

2. आपके हिसाब से आगामी ग्राम सभा में प्रमुख मुद्दे क्या होना चाहिये ?

   .....

   .....

3. मुद्दे के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? इससे कितने लोग प्रभावित हैं? समाधान हेतु संभावित विकल्प क्या हैं?

   .....

   .....

4. मुददे पर और किन लोगों का समर्थन मिल सकता है या हासिल किया जा सकता है?

   .....

   .....

बहु-विकल्पीय प्रश्न (सभी प्रश्न पेसा क्षेत्र से संबंधित है)

1. ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा?
   - सरपंच ☐
   - उपसरपंच ☐
   - नोडल अधिकारी ☐
   - ग्राम सभा द्वारा चुना गया अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति ☐

2. ग्राम सभा का कोरम क्या है?
   - कुल सदस्यों का 10 प्रतिशत ☐
   - 100 सदस्य ☐
   - कुल सदस्यों का 33 प्रतिशत ☐
   - इनमें से कोई नही ☐

3. कोरम में महिलाओं की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए?
   - 10 प्रतिशत ☐
   - 25 प्रतिशत ☐
   - 33 प्रतिशत ☐
   - 50 प्रतिशत ☐

4. कितने सदस्यों की मांग पर ग्राम सभा बुलाई जा सकती है?
   - एक तिहाई ☐
   - दो तिहाई ☐
   - तीन तिहाई ☐
   - सभी सही ☐

5. किसी मुद्दे पर सर्व सम्मति न बनने पर ग्राम सभा की किस बैठक में मतदान कर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है?
   - पहली बार में ही ☐
   - दूसरी बार में ☐
   - तीसरी बार में ☐
   - चौथी बार में ☐

।। सही उत्तर पृष्ठ-24 पर दिये गए हैं।।

ग्राम सभा आयोजन के बाद उसकी समीक्षा हेतु प्रश्नावली

ग्राम सभा के बाद नीचे दिए गए सवालों पर चर्चा कर उसकी समीक्षा करें :

1. मुद्दे को ग्राम सभा के एजेन्डा में किस प्रकार जुड़वाया, प्रक्रिया बताएं?

   .....
   .....
   .....

2. एजेन्डा पर क्या चर्चा हुई ?

   .....
   .....
   .....

3. एजेन्डा पर क्या फैसला हुआ ?

   .....
   .....
   .....

4. क्या निर्णय को ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर में लिखा गया और ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया गया?

   .....
   .....
   .....

5. क्या आपने फैसले की प्रति प्राप्त की?

   .....
   .....
   .....

6. फैसला लागू करने में आपकी एवं अन्य सदस्यों की क्या भूमिका रहेगी ?

   .....
   .....
   .....

बहुविकल्पीय वाले प्रश्नों के सही उत्तर

भाग 1

1. 7 दिन
2. ग्राम सभा के दिन तक
3. ग्राम सभा का सदस्य
4. ग्राम सभा का सदस्य
5. सचिव

भाग 2

1. ग्राम सभा द्वारा चुना गया अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति
2. कुल सदस्यों का 33 प्रतिशत
3. 33 प्रतिशत
4. एक तिहाई
5. तीसरी बार में

समर्थन के बारे में

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1996 से देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित पैरवी करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

Website: www.samarthan.org

टीआरआई के बारे में

ट्रांसफार्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (TRI) एक गैर–शासकीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाने वाले महत्त्वपूर्ण सूचकांकों में आशावादी बदलाव लाना है। इसे प्राप्त करने हेतु TRI जमीनी स्तर पर कार्य कर रही उन गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करती है, जिनका मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाना है।

TRI 'समुदाय केन्द्रित' की अवधारणा पर काम करता है, इसका मतलब यह है कि समुदाय स्वयं विकास–रथ का सारथी बनने के लिए उद्वेलित हो तथा सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हो। स्थाई सकारात्मक परिवर्तन के लिए हम विकास के विभिन मूलभूत आयामों जैसे कि आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यक्तिगत जवाबदेही एवं सामुदायिक नेतृत्व पर एक साथ काम करते हैं।

Website: www.trif.in

ट्रांस्फार्मिंग रूरल इण्डिया फाउंडेशन (टीआरआईएफ)
प्रधान कार्यालय : 3, कम्युनिटी शॉपिंग सेन्टर, नीति बाग, नई दिल्ली–49
वेबसाइट – www.trif.in

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, वेबसाइट – www.samarthan.org